न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भावना राघव गूर्जर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 21/2018 **दायरा दिनांक : 05.02.2018**

उनवान

श्री हिम्मत सिंह सिंघवी आत्मज स्वर्गीय श्री कन्हैया लाल जी जैन, जाति महाजन, निवासी वार्ड नम्बर 8, छबड़ा, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

महेन्द्र सिंह सिंघवी आत्मज स्वर्गीय श्री कन्हैया लाल जी जैन, जाति महाजन, निवासी वार्ड नम्बर 8, छबड़ा, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री दीनानाथ गालव अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री एन के गुप्ता अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 13.02.2020**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, छबड़ा के प्रकरण संख्या – 207/2007 निर्णय व डिक्री दिनांक 18.01.2018 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी रेस्पोडेंट का यह कथन रहा है कि ग्राम सोलतपुरा, तहसील छबडा, जिला बारां में खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 13/23.00, 16/1.00, 17/1.04, 102/0.19, 105/0.08, 106/0.09, 107/0.04, 318/0.10, 319/6.08, 320/6.15, 321/0.19 कुल किता 11 कुल रकबा 35 बीघा 16 बिस्वा स्थित चली आ रही है, जो वादी रेस्पोडेंट को अपने पिता कन्हैया लाल के खाते से प्राप्त हुई है । वादी के पिता की मृत्यु के बाद से अपीलांट प्रतिवादी बतौर ट्रेसपासर काबिज काश्त है । वादी

रेस्पोडेंट वाद पेश कर डिक्री चाहता है, तथा वाद में वर्णित आराजी पर से अपीलांट प्रतिवादी को बेदखल किया जाकर वादी रेस्पोडेंट को कब्जा दिलाया जावे । वादी रेस्पोडेंट का वाद धारा 183 और 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर प्रतिवादी अपीलांट को जर्ये सम्मन तलब किया । अपीलांट प्रतिवादी का काउंटर क्लेम खारिज कर दिया तथा ग्राम सोलतपुरा, तहसील छबडा, जिला बारां में खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 13/23.00, 16/1.00, 17/1.04, 102/0.19, 105/0.08, 106/0.09, 107/0.04, 318/0.10, 319/6.08, 320/6.15, 321/0.19 कुल किता 11 कुल रकबा 35 बीघा 16 बिस्वा से अपीलांट रेस्पोडेंट को बेदखल किया जाकर वादी रेस्पोडेंट को कब्जा दिया जावे तथा प्रतिवादी अपीलांट को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वादी रेस्पोडेंट के खातेदारी की आराजी पर जबरन व्यवधान पैदा नहीं करें उक्त आदेश के निर्णय व डिक्री अपीलांट प्रतिवादी के विरूद्ध पारित की गई जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है । अपील में अपीलांट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री जो अपीलांट प्रतिवादी के विरूद्ध तय की गई है वह पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य के विपरीत होने से निरस्तनीय है । जबकि अपीलांट प्रतिवादी ने अपनी साक्ष्य में यह साबित कर दिया था कि वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट का कब्जा काश्त है तथा अपीलांट का कब्जा सन् 1972 से चला आ रहा है । वादी रेस्पोडेंट ने कभी भी वादग्रस्त आराजी पर काश्त नहीं की तथा अपीलांट का कब्जा मुखालफाना हो गया है तथा रेस्पोडेंट के खातेदारी अधिकार समाप्त हो गये हैं इस बिन्दु पर अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं कर निर्णय पारित करने में त्रुटि की है । वादी रेस्पोडेंट का वाद मियाद बाहर है तथा वादी रेस्पोडेंट को डिक्री प्राप्त करने का अधिकार समाप्त हो चुका है इस पर अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं कर त्रुटि की है । अपीलांट वादग्रस्त आराजी पर विपरीत कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त कर चुके हैं तथा काउंटर क्लेम के माध्यम से अपीलांट

रेस्पोडेंट खातेदारी घोषित कराने का अधिकारी है इस बिन्दू को रेस्पोडेंट वादी के पक्ष में तय करने में ज्यूडिशियल माईन्ड एप्लाई नहीं किया । वादी का वाद धारा 63 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत बाई बार्ड लॉ था, समय बाधित था और राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 63 डी के अनुसार वाद खारिज किया जाना चाहिए था जो नहीं करके अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटि की है । न्यायालय ने वाद व प्रतिवाद व जवाबुलजवाब पर 6 बिन्दू विरचित किये किन्तु एक बिन्दू पर भी निर्णय ना देकर वाद डिक्री किये जाने में भारी भूल की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.01.2018 अपासत की जावे तथा अपीलांट प्रतिवादी के पक्ष में प्रतिवादी का काउंटर क्लेम स्वीकार किया जावे तथा मुताबिक जमाबंदी ग्राम सोलतपुरा, तहसील छबडा, जिला बारां में खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 13/23.00, 16/1.00, 17/1.04, 102/0.19, 105/0.08, 106/0.09, 107/0.04, 318/0.10, 319/6.08, 320/6.15, 321/0.19 कुल किता 11 कुल रकबा 35 बीघा 16 बिस्वा पर जो कि अपीलांट प्रतिवादी को खातेदार घोषित किया जावे ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अभिभाषक अपीलांट ने लिखित बहस एवं आर आर डी 14.10.2008 पेज 696 की नजीर पेश की जो शामिल पत्रावली की गई । अभिभाषक रेस्पोडेंट ने आर आर टी 2019 (2) पेज 831, आर आर टी 2018–19 सप्लीमेंट्री पेज 316, आर आर डी 2015 (2) पेज 868, आर आर डी 1975 पेज 17, आर आर डी 1988 पेज 470, आर एल आर 1985 पेज 1086, आर आर डी 1990 पेज 663 की नजीरें पेश की जो शामिल पत्रावली की गई ।

अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पेश वाद में साक्ष्य के आधार पर तनकीवार निर्णय पारित किया जाना चाहिए था, जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं किया गया है । अतः हम प्रकरण को रिमाण्ड किया जाना उचित समझते हैं ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.01.2018 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण में तनकीवार निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 20.05.2020 को उपस्थित होवे ।

निर्णय आज दिनांक 13.02.2020 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भावना राघव गूर्जर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा